पत्र संख्या : 7 वि॰शा॰/मु॰ल॰सिं॰राँची–07–01/2020 ज॰स॰– 31

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः 21/09/2020

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रूपये 724.986 लाख (रूपये सात करोड़ चौबीस लाख अंठानबे हजार छः सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या– 16/06.07.2018 एवं 63/12.02.2019 (Online स्वीकृत्यादेश सं॰ 2097, दिनांक 12.02.2019 एवं 827, दिनांक 09.07.2018)

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2020–21** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰)
1	2	3	4	5
1.	50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 19– नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05–निर्माण/ 45– निर्माण कार्य विपत्र कोड– 50**S**470200796190545	**724.986**
आवंटित राशि – रूपये सात करोड़ चौबीस लाख अंठानबे हजार छः सौ मात्र।				

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट–1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

3. आवंटित राशि वर्ष **2020–21** के बजट उपबंध राशि **रू॰ 2520.00 लाख (**पच्चीस करोड बीस लाख**)** मात्र के अंतर्गत है।

4. आवंटित राशि योजना–सह–विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक–1643, दिनांक–02.09.2020 के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजट उपबंध के 25% की राशि के अन्तर्गत है।

5. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003, 1363 दि॰ 09.05.2016 एवं 2747/वि॰, दिनांक–19.09.2016 के आलोक में होगा।

6. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।

7. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

11. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्ति किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

21/09/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 31 राँची, दिनांक :– 21/09/2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/गुमला/पूर्वी सिंहभूम/जमशेदपुर/पाकुड़** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

21/09/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 31 राँची, दिनांक :– 21/09/2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) राँची/अभियंता प्रमुख–**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

21/09/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक 31 दिनांक 21/09/2020 का अनुलग्नक परिशिष्ट –1

मुख्य शीर्ष–4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय
लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उप शीर्ष–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण
बजट उपबंध (2020–21) – रूपये 2520.00 लाख
विपत्र कोड– 50S470200796190545

(राशि लाख रूपये में)

क्र॰		कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकरारित राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वर्ष 2020–21 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
						प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, राँची (RNCMIR001)	राँची	लापुंग	मौजा–बड़गाई में सोतिया नाला पर एकल चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	66.031	2097 dt.12.02.2019	58.510	44.968	0.000	14.270	14.270	59.238	44598	
2	2			बेड़ो	वारीडीह नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		149.727		133.280	39.893	0.000	42.178	42.178	82.071		
3	3			नामकोम	सीरी नाला पर श्रृं0 चेकडैम निर्माण		239.400		192.622	115.991	0.000	77.611	77.611	193.602		
4	4			सिल्ली	डोमनडीह नाला पर एकल चेकडैम निर्माण		65.817		55.206	24.999	0.000	9.952	9.952	34.951		
5	5			चान्हो	कुकरडूबा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		160.390		141.108	19.980	0.000	29.194	29.194	49.174		
6	6				तिनकोनिया नाला पर चेकडैम निर्माण		65.974		52.347	39.627	0.000	4.230	4.230	43.857		
7	7			काँके	रेण्डो नाला पर एकल चेकडैम निर्माण		100.950		83.458	62.958	0.000	19.600	19.600	82.558		
8	8				रेंडो नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण		197.690		174.046	19.957	0.000	19.689	19.689	39.646		
9	9			अनगड़ा	पहाड़सिंह में गाटर पुल चेकडैम निर्माण		130.997		108.620	19.800	0.000	45.401	45.401	65.201		
10	10			नामकोम	राढू नदी पर चेकडैम निर्माण		128.445		110.730	29.980	0.000	80.752	80.752	110.732		
11	11			सिल्ली	बनुआडीह सितमजारा नाला पर चेकडैम निर्माण		78.250		56.430	24.980	0.000	22.001	22.001	46.981		
				योग :–			1,383.671		1166.357	443.133	0.000	364.878	364.878	808.011		
12	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला (GMLIRR006)	गुमला	डुमरी	अनाबीरी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	164.375	2097 dt.12.02.2019	141.510	99.040	0.000	36.589	36.589	135.629	44599	
13	2			गुमला	आंजन डुमरडीह नाला पर एकल चेकडैम निर्माण		74.441		55.170	38.620	0.000	16.372	16.372	54.992		
14	3			घाघरा	सिमला नाला पर एकल चेकडैम निर्माण कार्य		73.386		61.820	43.274	0.000	12.818	12.818	56.092		
15	4			चैनपुर	केराबार नाला पर श्रृंखला0 चेकडैम निर्माण		216.397		192.070	142.950	0.000	37.202	37.202	180.152		
				योग :–			528.599		450.570	323.884	0.000	102.981	102.981	426.865		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

21/09/20.
(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र॰		कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकरारित राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वर्ष 2020–21 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
						प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर (JSRMIR001)	पूर्वी सिंहभूम	गुराबान्धा	कुसमा घाटी स्थानीय नाला पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	73.448	2097 dt.12.02.2019	65.490	8.000	0.000	51.903	51.903	59.903	44601	
17	2			पटमदा	चितईडिह (प्लासबगान) में स्थानीय नाला पर चेकडैम निर्माण		86.102		76.740	7.000	0.000	18.932	18.932	25.932		
योग :–							**159.550**		**142.230**	**15.000**	**0.000**	**70.835**	**70.835**	**85.835**		
18	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ (PKRMIR001)	पाकुड़	हिरणपुर	पारस पोखर के नजदीक लखनपुर नाला में चेकडैम का निर्माण	16/2018-19 dt. 06.07.2018	46.462	827 dt 09.07.2018	52.83	46.460	0.000	6.368	6.368	52.828	44603	
19	2			अमड़ापाड़ा	सलपतरा नाला पर श्रृं0 चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	162.837	2097 dt.12.02.2019	144.83	40.000	0.000	23.567	23.567	63.567	44602	
20	3			पाकुड़	भवानीपुर जोरिया में चेकडैम निर्माण		50.822		45.70	20.000	0.000	25.700	25.700	45.700		
21	4				उदयनारायणपुर, देवतल्ला ग्राम में मसना नाला पर चेकडैम निर्माण		96.420		86.51	0.000	0.000	9.701	9.701	9.701		
22	5			महेशपुर	बुढ़ी नाला पर चेकडैम निर्माण		50.822		45.70	20.000	0.000	25.700	25.700	45.700		
23	6				लखनपुर एवं रामनाथपुर नाला पर चेकडैम निर्माण		53.330		47.96	20.000	0.000	27.959	27.959	47.959		
24	7				लोगॉव नाला में श्रृं0 चेकडैम का निर्माण		97.030		87.26	24.530	0.000	35.467	35.467	59.997		
25	8			पाकुड़िया	पलिया दाहा में देवा नाला पर चेकडैम निर्माण		58.200		51.83	20.000	0.000	31.830	31.830	51.830		
योग :–							**615.923**		**562.620**	**190.990**	**0.000**	**186.292**	**186.292**	**377.282**		
सकल योग :–							**2,687.743**		**2321.777**	**973.007**	**0.000**	**724.986**	**724.986**	**1697.993**		

31/21/9/2020

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

21/09/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव